



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062021-227893
CG-DL-E-25062021-227893

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350]
No. 350]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2021/आषाढ 4, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2021/ASHADHA 4, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2021

सा.का.नि. 438(अ).—केंद्रीय सरकार साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खनिज (गैर-विशिष्ट सर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र) नियम, 2015 से संबंधित, भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा सा.का.नि. 516(अ) तारीख 29 जून, 2015 को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ऐसे विखंडन से पूर्व उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए अधिक्रमण किया गया है या करने का लोप किया गया है एतद्वारा विखंडित करती है।

[फा. सं. 1/3/2021-एम.VI (Part)]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: खनिज (गैर-विशिष्ट सर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र) नियम, 2015 संख्या सा.का.नि 516(अ) तारीख 29 जून, 2015 के द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th June, 2021

G.S.R. 438(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Mines number G.S.R. 516(E), dated the 29th June, 2015 relating to the Mineral (Non-Exclusive Reconnaissance Permits) Rules, 2015, published in Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 29th June, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such rescission, with effect from the date of publication of this notification.

[F. No. 1/3/2021-M.VI(Part)]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

Note : The Mineral (Non-Exclusive Reconnaissance Permits) Rules, 2015 were published in Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 516(E) dated the 29th June, 2015.